मैथिली भाषा

सूचना माङ्गकर्ताक लेल
सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रिय सूचना आयोग

सूचना माङ्गकर्ताक लेल
सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रिय सूचना आयोग

पुस्तकके नाम: सूचना माङगकर्ताक लेल सहयोगी पुस्तिका
सम्पादन: रत्नप्रसाद मैनाली, सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
प्रकाशक राष्ट्रिय सूचना आयोग
अनुवाद, डिजाइन, लेआउट: पब्लिक अफेयर्स रिसर्च एण्ड कम्युनिकेसन्स (PARC)
सर्वाधिकार: राष्ट्रिय सूचना आयोग
पहिल संस्करण: २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचना आयोग भवन, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन: ०१-४५९६५४४, फ्याक्स: ०१-४५९६५४५
वेबसाइट: nic.gov.np,
इमेल: info@nic.gov.np
ISBN Number: 9789937970259

राष्ट्रिय सूचना आयोग आ युएसएआईडी नेपालक सहकार्यमे प्रकाशित। एहि प्रकाशनके विषयवस्तु आ सामग्रीक लेल राष्ट्रिय सूचना आयोग जिम्मेवार अछि। ई सामग्री अमेरिकी सरकार, युएसएआईडी वा द एशिया फाउण्डेशनक विचार प्रतिविम्बित करए से जरुरी नहि अछि।

USAID अमेरिकी जनताबाट
CIVIL SOCIETY & MEDIA STAND
The Asia Foundation

आयोगक कहब

सूचना मङगबाक आ प्राप्त करबाक नागरिकके अधिकारके नेपालक संविधानमे मौलिक हकके रुपमे स्वीकार कएल गेल छै। संविधानक धारा २७ मे व्यवस्था कएल सूचनाक हकके सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत् आओर व्यवस्थित कएल गेल छै। सूचनाक हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भेल अछि आ सूचनाक हकके कार्यान्वयनक लेल नियामक निकायक रुपमे वि.सं. २०६५ सालमे राष्ट्रिय सूचना आयोगक गठन भेल छल। आयोग संविधान आ कानुनसँ निर्देशित अपन दायित्व निर्वाह करैत आएल अछि।

आयोगक मुख्य जिम्मेवारी सूचना माङग'के आ र प्राप्त कर'के नागरिक अधिकारके सुनिश्चित करब अछि। सार्वजनिक निकायमे रहल व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारके विषयमे नागरिकद्वारा माङगल सूचना ओ निकायके सूचना अधिकारी आ कार्यालय प्रमुख जँ नहि दैत अछि तहन आयोगमे पुनरावेदन करबाक कानुनी व्यवस्था सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मे अछि। एहितरहेँ प्राप्त पुनरावेदनउपर उपयुक्त आदेश द' क' संविधानप्रदत्त सूचना माङग करबाक आ प्राप्त करबाक नागरिक अधिकारके सुनिश्चित करब आयोगक प्राथमिक दायित्व अछि।

कानुन पुनरावेदनउपर सुनुवाइके सँगहि सूचनाक हकसम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्यके जिम्मेवारी सेहो आयोगके देने अछि। संविधान आ कानुनमे सूचनाक हक जेहन महत्वपूर्ण अधिकारके व्यवस्था भेला डेढ दशक बित गेल छै। मुदा आमनागरिकमे एहिके विषयमे पर्याप्त जानकारी नहि छै। एहि विषयमे आयोग विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक काज करैत आएल अछि मुदा नागरिकधरि जाहि तरहेँ पहुँचक चाही से नहि भ' सकल वास्तविकताके स्वीकारहे पडत। तैयो, आयोग एहिदिस यथाशक्य प्रयास करैत आएल अछि। एहिके नागरिकधरि पहुँचएबालेल राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निकाय आ सरोकारवाला संस्थाके प्रतिबद्धताक बेसी खगता अछि।

नेपालक संविधानक धारा ७ क उपधारा १ मे देवनागरी लिपिमे लिखल जाएबाला नेपाली भाषा नेपालक सरकारी कामकाजक भाषा हेबाक कहल गेल गेल अछि। तहिना, उपधारा २ मे नेपाली भाषाक अलाबा प्रदेश अपन प्रदेशभितर बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा बाजल जाएबाला एक वा एकसँ अधिक आओर राष्ट्र भाषाकेँ प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशक सरकारी कामकाजक भाषा निर्धारण कएल जाऽ सकबाक कहल गेल अछि। सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ क दफा ४ क उपदफा ३ मे, सार्वजनिक निकाय उपदफा २ क खण्ड (क) बमोजिमक सूचना सार्वजनिक प्रकाशन वा प्रशारण करैत काल विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारक माध्यमसँ कएल जाऽ सकबाक कहल गेल अछि। नेपालक संविधान आ कानुनमे कएल गेल ई व्यवस्थाकेँ मध्यनजर मध्यनजर करैत सूचनाक हकक कानुनी प्रावधान तथा प्रचलनक विषयमे मैथिली भाषी नागरिककेँ सेहो जानकारी पहुँचाओल जेबाक उद्देश्यकसँ आयोग ई सहयोगी पुस्तिका मैथिली भाषामे प्रकाशन कएने अछि। सरकार राष्ट्रिय भाषासभकेँ कार्यालय सञ्चालनक लेल नहि तोकने अवस्थामे सूचना माङ करैत काल, निवेदन दैत काल आ पुनरावेदन करैत काल नेपालीए भाषा प्रयोग करऽ आयोग सभमे आग्रह करैत अछि।

सार्वजनिक निकायके सुशासनयुक्त, पारदर्शी आ उत्तरदायी बनाब'लेल नागरिक जागरुकता अनिवार्य होइत अछि। सूचना माङग' आ लेब' सकैछी से संवैधानिक आ कानुनी व्यवस्थाक विषयमे आमनागरिकके जानकारी बिना ई सम्भव नहि हएत। एहि सन्दर्भमे सूचनाक हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाक विषयमे नागरिकके जानकारी देबाक उद्देश्यसँ ई पुस्तिका तयार कएल गेल अछि। ई पुस्तिका तयार करबालेल आयोगके द एसिया फाउण्डेशन आ नेशनल डेमोक्रेटिक इस्न्टिच्युट, नेपालसँ महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भेल अछि। एहि संस्थासभप्रति आभारी रहैत आयोग धन्यवाद ज्ञापन करैत अछि।

पुस्तिका प्रकाशन करबाक क्रममे रहल भऽ सकबाक कमी, कमजोरी आ त्रुटिकेँ सुधारऽ अहाँसभक सुझाव वा जानकारी प्राप्त भेलापर अगिला संस्करणमे सुधारऽ आयोग सहर्ष तयार रहल जानकारी करबैत अछि।

बैशाख २०८१ राष्ट्रिय सूचना आयोग

विषय प्रवेश

नेपालक संविधानके धारा २७ मे प्रत्येक नागरिकके अपन वा सार्वजनिक सरोकारके कोनो विषयके सूचना माङ्ग'के र लेब'के हक देल गेल अछि। ई नागरिकके मौलिक हक छै।

सूचना माङ्ग'के आ लेब'के हकभितर सूचना प्रवाहके हक सेहो पडैत छै। एहिके प्रचलित कानून, अभ्यास आ विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रसबसेहो पुष्टि कएने छै। तैं, सूचना माङ्ग'के, लेब'के आ प्रवाह करबाक हक स्थापित भेला कारणेँ अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मीसहित सूचनाके खगता रहल नागरिक सक्रिय हएब आवश्यक अछि।

कानूनी व्यवस्था

नेपालक संविधानक धारा २७ मे मौलिक हकके प्रचलनबास्ते संविधानक धारा ४६ मे संवैधानिक उपचारक हकके व्यवस्था कएल गेल छै। एहि अनुसार सूचना प्राप्त करबालेल कोनो नागरिक रिटके माध्यमसँ अदालत जासकैया।

सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनके दफा ११ मे नागरिकके सूचनाक हकके संरक्षण, सम्बर्द्धन आ प्रचलन कराब'लेल एकटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहबाक कानूनी व्यवस्था अछि। कानूनी व्यवस्थाअनुसार २०६५ सालमे आयोग स्थापना भेल अछि।

आयोगक मुख्य जिम्मेवारी नागरिकके सूचना दिआएब अछि। कोनो सार्वजनिक निकायमे रहल व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना नहि देनिहार सम्बन्धित निकायक पदाधिकारीविरुद्ध आयोगमे पुनरावेदन देब' पडैत छै। पुनरावेदन प्राप्त भेलाक बाद कानूनी प्रक्रिया पूरा क' आयोग नागरिकके सूचना माङग'के आ लेब'के हकके प्रत्याभूति करबैत छै।

सूचनाके हकके कानूनी प्रत्याभूति

सूचनाके हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मे नागरिकके सूचना माङग' आ लेब'लेल किछु अपवादबाहेकके सूचना प्राप्त करबाक प्रत्याभूतिबास्ते २ टा कानूनी प्रावधान राखल गेल अछि :

- प्रत्येक नेपाली नागरिकके सार्वजनिक निकायमे रहल सूचनामे पहुँच हएत - सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ के उपदफा (२)
- प्रत्येक सार्वजनिक निकायके नागरिकके सूचनाक हकके सम्मान आ संरक्षण कर' पडतै/कराब' पडतै - सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनके दफा ४ के उपदफा (१)

कानूनके इएह व्यवस्थाअनुसार -

- राष्ट्रिय सूचना आयोगक आदेश आ अदालतके फैसलाक बाद आमविद्यार्थी अपन उत्तरपुस्तिका देख' सकैया से मान्यता स्थापित भेल अछि। सूचना मंगलापर उत्तरपुस्तिका सेहो देख' सकैत

छी ? कहिक' आश्चर्य प्रकट कएल जाइत छल। मुदा आब एहन व्यवस्था भेलाक बाद उत्तरपुस्तिका परीक्षण केनिहारके आओर जिम्मेवार बनाब'मे मद्दति भेटल अछि।

- आन कतेको पुनरावेदनमे आयोग सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निजी क्षेत्रक बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था तथा उपभोक्ता समितिक नाममे सूचना देबालेल आदेश जारी कएने अछि। आयोगक आदेशक बाद नागरिक सूचना प्राप्त कएलासँ सब निकाय सूचनाक हकके दायराभितर रहल सन्देश प्रवाह भेल अछि। तेँ, एहि निकायमे रहल व्यक्तिगत आ सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना मांग' आ लेब' सकैत छी।

सूचनाक हकके विश्व इतिहास

सन् १७६६ मे पहिलबेर स्वीडेनमे सूचनाक हकसम्बन्धी कानून जारी भेल छल। ताहिके बाद सन् १९५१ मे फिनल्याण्ड, सन् १९६६ मे संयुक्त राज्य अमेरिकामे आ सन् १९७० मे डेनमार्क आ नर्वेमे एहिबास्ते कानून जारी भेल छल। हाल विश्वके करिब १ सय ३६ सँ बेसी देशमे ई कानून जारी भेल अछि।

दक्षिण एसियामे सूचनाक हकके विकासक्रम

सन् २००२ मे पाकिस्तानके पञ्जाब आ केपी प्रदेशमे सूचनाक हकसम्बन्धी कानून जारी भेल छल। तत्पश्चात सन् २००५ मे भारतमे, सन् २००७ मे नेपालमे, सन् २००९ मे बंगलादेशमे, सन् २०१४ मे अफगानिस्तान आ माल्दिभ्समे तथा सन् २०१६ मे श्रीलङ्कामे ई कानून जारी भेल छल। श्रीलङ्कामे सूचना देब'मे आनाकानी केनिहार पदाधिकारीके दू वर्षधरि कारावासक सजाय हएबाक कानूनी व्यवस्था कएल गेल अछि।

राष्ट्रिय सूचना आयोगक गठन

नेपालक अन्तरिम संविधानक धारा २७ मे भेल संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २०६४ सालमे सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन आ २०६५ सालमे नियमावली जारी भेल छल। इएह ऐनके प्रावधानबमोजिम २०६५ सालमे राष्ट्रिय सूचना आयोगक गठन भेल छल।

तत्काल सूचना

प्रत्येक नागरिकके सम्बन्धित कार्यालयक सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माङ्ग करैत निवेदन देब' पडैछै। एनाक' सूचना माङ्ग कएलापर सूचना अधिकारीके तत्काल सूचना उपलब्ध कराबक चाही से कानूनी व्यवस्था अछि।

सामान्यत: एहन सूचना लिखितरुपमे माङग करबाक चाही। सँगहि, सूचना मंगैत काल कोन विषयमे केहन सूचना चाही आ तकर प्रयोजन की छै सेहो निवेदनमे लिख' पडैछै। एना भेलाके बाद सूचना अधिकारीके तत्काल सूचना देब'मे सहज होइत छै। एक्कहिटा निवेदनमे बहुत विषयमे सूचना मंगैतकाल प्रयोजन बताब'मे असहज भ' सकैया। सूचना देब'बलाके सेहो असुविधा होब' सकैया। तँ सूचना माङग केनिहारके कोन सूचना किया माँगि रहल छी ताहि विषयमे स्पष्ट होबक चाही।

हुलाकके माध्यमसँ तथा फ्याक्स, इमेलसहितके विद्युतीय माध्यमसँ सेहो सूचना माङग कर' आ प्राप्त कर' सकैत छी। मुदा सम्भव भेलापर सूचना अधिकारीसमक्ष उपस्थित भ' क' निवेदन देब नीक होइत अछि। सूचना मंगलापर भेटैछै से विश्वासक सँग सार्वजनिक निकायमे सूचना माङगक चाही। कियाक त सूचना माङगब आ प्राप्त करब प्रत्येक नेपाली नागरिकके संवैधानिक मौलिक हक अछि।

कोनो माध्यमसँ सूचना माङगल गेल हुअए, सूचना मङगनिहार नेपाली नागरिक भेल कोनो प्रमाण (जेना-नेपाली नागरिकताक प्रतिलिपी वा एहने अन्य) संलग्न कर' पडैत छै। कियाक त संविधानमे सार्वजनिक निकायमे रहल सूचना माङग'के अधिकार नेपाली नागरिकके मात्रे प्रदान कएल गेल छै।

लिखित रुपमे सूचना मांग'केआ निश्चित समयमे सूचना प्राप्त करबाक

प्रत्येक नागरिकके सूचना माङ्ग'लेल लिखित निवेदन दर्ता कराब' पडैछै। दर्ता कएल निवेदनके निस्सा (प्रमाण) लेब' पडैछै। सँगहि, सूचना अधिकारीके सम्पर्क नम्बर सेहो लेब' पडैछै। सूचना मंगैत निवेदन देलाक बाद सूचना अधिकारीके कोन दिन सूचना उपलब्ध हएत से पुछ' पडैछै। सूचनाक हकसम्बन्धी कानूनमे सूचना मांग भेलाक बाद तत्काल उपलब्ध करएबाक व्यवस्था कएल गेल अछि। तैयो, मांग कएल सूचना सङ्कलन करबालेल सूचना अधिकारीके अधिकतम १५ दिनभितर सूचना उपलब्ध कराबक चाही।

मुदा, शरिर आ जानके सुरक्षासँ सम्बन्धित सूचना २४ घण्टाभितर उपलब्ध करएबाक कानूनी व्यवस्था अछि। एहिके लेल निवेदनमे सेहो ओ उल्लेख क' सूचना अधिकारीके जानकारी कराबक चाही। एहि तरहेँ सूचना अधिकारीसँ सूचना माङ्ग कएल बोधार्थ ओ कार्यालयक प्रमुख आ राष्ट्रिय सूचना आयोगके देबाक कानूनी व्यवस्था नहि छै। भविष्यमे निवेदन वा पुनरावेदन कर'लेल सम्बन्धित निकायके सचेत कराब'लेल ईच्छुक नागरिक एहन बोधार्थ लिख सकैत अछि।

सूचना अधिकारी जँ सूचना नहि दिअए त उजुरी करु

सामान्यत: माङ्गल सूचना, सूचना अधिकारी जँ १५ दिनभितरमे नहि देलक त वएह कार्यालयक प्रमुखसमक्ष निवेदन देबाक चाही। एहन निवेदन लिखित रूपमे हुलाक, फ्याक्स वा इमेलमार्फत् सेहो पठाब'

सकैत छी। अपनेसँ उपस्थित भ' लिखित निवेदन देलापर निवेदन दर्ता नम्बर (निस्सा) लेबक चाही।

एहि तरहेँ निवेदन दैत काल दूटा विषयमे माङग, दावी करबाक चाही। पहिल - सूचना नहि देनिहार सूचना अधिकारीके कारवाहीक माङ। दोसर,माङगल सूचना पएबाक। एहन निवेदन सूचना अधिकारी सूचना नहि देब से कहैत पत्र देलाक वा आंशिक सूचना देलाक वा सूचना नहि द' १५ दिन बितेलाक मितिसँ सातदिनभितर देबाक चाही। सामान्यत: एनाक' निवेदन देलाक बाद सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखके ७ दिनभितर सूचना उपलब्ध करएबाक कानूनी व्यवस्था अछि।

आयोगमे पुनरावेदन करैतकाल सूचना माङग क' सूचना अधिकारीसमक्ष देल निवेदन, कार्यालय प्रमुखके देल निवेदन आ नेपाली नागरिक भेल प्रमाण सेहो संलग्न करबाक चाही।

सार्वजनिक महत्वके विषयमे सूचना माङग केलाके बाद सूचना भेटो सकैया आ किछु अवस्थामे नहि सेहो भेट सकैया। एनाक' सूचना माङग करैत काल सार्वजनिक निकायके पदाधिकारीके गलत काज करबासँ रोकल जा सकैया। कियाक त कोनो विषयमे निर्णय करैत काल सार्वजनिक निकायक पदाधिकारी कालिहभने नागरिक एहि विषयमे सूचनाक हकके प्रयोग क' सूचना माङगत त ई विषयके सूचना देब'पडत से सोचबालेल बाध्य होइत अछि।

कार्यालय प्रमुख सेहो सूचना नहि देलापर पुनरावेदन

सूचना माङ्ग केनिहारक नागरिकके कहियो हार नहि मानक चाही। तँ, सूचना अधिकारी आ कार्यालय प्रमुख दुनू सूचना नहि देलापर राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करबाक चाही। एहनमे सूचना अधिकारी १५ दिनभितरमे सूचना नहि देलाक बाद वा गलत वा आंशिक सूचना देलापर अथवा सूचना नहि देब'सकक से कहिक' कोनो लिखित देने अवस्था होबक चाही। दोसर कार्यालय प्रमुखसँ कएल निवेदनमे सेहो सूचना देबाक ७ दिनक म्याद गुजरल वा सूचना नहि देब से कहिक' पत्र देल मितिसँ ३५ दिनभितर राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करबाक चाही।

एनाक' आयोगमे पुनरावेदन कएलापर कोनो दस्तुर नहि लगैत छै। पुनरावेदनमे हुलाक टिकट सेहो साट' नहि पडैछै।

एत्तेक मेहनत कएलाक बाद की केहन सूचना भेटैछै ? ई जिज्ञासा भ' सकैया। उदाहरणके लेल राष्ट्रिय सूचना आयोगक आदेशके बाद लगानी बोर्ड आ जिएमआरबीच भेल अपर कर्णाली जल विद्युत आयोजनाक पीडीए सम्झौता, नेपाल आ भारत सरकारबीचके पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाक विधान तथा नेपाल आ चीनबीच सम्पन्न चिनिया हवाई जहाज खरिदबाक आ अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्र सेहो सूचना माङ्गकर्ताके भेटल छल। एहिसँ द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताक दस्तावेजमे नागरिकके पहुँच कायम भेल अछि।

एहिके अतिरिक्त, नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाक परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रसहितके कागजपत्र सेहो आयोगक पहलमे सूचना माङगकर्ता नागरिकके भेटल छल। एहिसँ दातृ निकायक सूचनामे सेहो नागरिकके हक स्थापित भेल अछि। ई सब दृष्टान्तसँ सूचनाके हक कत्तेक बलगर छै सै स्पष्ट होइत अछि।

पुनरावेदनउपर कोनाक' कारवाही होइत छै?

राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करैत काल सूचना अधिकारीसँ सूचना माङग कएल आ कार्यालय प्रमुखके निवेदन देल गेल प्रमाण सेहो पेश कर' पडैत छै। एनाक' आयोगसमक्ष कएल पुनरावेदनमे आयोग समय सीमा निर्धारण क' नि:शुल्क सूचना उपलब्ध कराब'लेल सेहो आदेश द' सकैया। आयोग अधिकतम् ६० दिन भितर एहि विषयमे निर्णय सुनबैत अछि। सँगहि, आयोगके पुनरावेदन निरर्थक लगलापर खारिज सेहो क' सकैया।

पुनरावेदनक कारवाही आ किनारा लगाब'लेल आयोग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायक प्रमुख वा सूचना अधिकारीसँ बयान ल' सकैया वा कोनो लिखित जवाब पेश कर'लेल कहि सकैया। एहि सम्बन्धमे साक्षी प्रमाण बुझ' सेहो सकैया। आयोगमे पक्ष, विपक्ष, प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानून व्यवसायीके उपस्थित करा सकैया। एहिके लेल आयोगमे रहल इजलासमे बहस-पैरवी भ' सकैया। एनाक' आयोग अदालती प्रक्रिया अनुसार अपन फैसला सुनबैत छै।

सूचना देब'मे आनाकानी केनिहारके कारबाही

राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन कएलाक बाद आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरा क' सूचना देब'लेल आदेश दैछै। एनाक' आयोगसँ जारी भेल आदेशकेँ आनाकानीक' सूचना नहि देनिहार पदाधिकारीके आयोग एक हजारसँ २५ हजार रुपयेयँधरि जरिवाना क' सकैया।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीके विभागीय कारवाहीके लेल लिखक' आयोग सम्बन्धित निकायमे पठा सकैत छै। नागरिक जे सूचना मङगने छै तकरा समयमे नहि द' क' सुस्त तरिकासँ सूचना देनिहार पदाधिकारीके आयोग प्रतिदिन दूसय जरिवाना क' सकैया।

एहिके अतिरिक्त जँ कियो आयोगके आदेशको पालन नहि करत त दश हजारधरि जरिवाना भ' सकैया।

एनाक', सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन नागरिकके सूचनाक हकके संरक्षण, सम्बर्द्धन कराब'लेल गठन भेल आयोगके दण्ड करबाक कानूनी अधिकार देने छै। नागरिकद्वारा माङगल सूचना दियौ से कहिक' आयोगसँ देल गेल आदेशके नहि माननिहार सार्वजनिक निकायक करिब चाइर दर्जन पदाधिकारी आयोगसँ दण्डित भेल अछि। एहन सजाय पाब'बलामे विद्यार्थीक उत्तरपुस्तिका नहि देब'बला, विद्यालयसँ सम्बन्धित सूचना देब'लेल आनाकानी केनिहार, विश्वविद्यालयक परीक्षासँ सम्बन्धित परीक्षार्थीक सूचना नहि देनिहार, सार्वजनिक निर्माणक सूचना नहि देनिहार, नागरिकद्वारा माङगल सूचना नहि

देनिहार निजी क्षेत्रसँ सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितके अछि ।

सूचना नहि भेटलाक कारण कोनो हानि-नोक्सानी भेलापर क्षतिपूर्ति भेटबाक व्यवस्था

कोनो नागरिकके माङ्गल सूचना नहि भेटलाक कारण हानि-नोक्सानी भेलापर क्षतिपूर्ति भेट सकैया । ओहन नोक्सानीके विवरण आ प्रमाणसहित राष्ट्रिय सूचना आयोगमे क्षतिपूर्तिक लेल निवेदन देब' पडैछै। एहन निवेदन एलाक बाद आयोग हानि-नोक्सानीके विचार क' मनासिब क्षतिपूर्ति दियबैछै। एहिमे क्षतिके सीमा नहि तय कएल गेल छै।

तेँ, नागरिक क्षतिके अधिकतम् दावी क' सकैया । तथापि, नागरिकके एहिसम्बन्धी समुचित प्रमाण संलग्न क' वा उचित आधार देखाक' मनासिब क्षतिपूर्तिक लेल माङ्गदावीसहितके निवेदन देबक चाही । मुदा, एहन क्षतिपूर्तिक दावीक लेल सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सात दिनभितरमे सूचना नहि देबाक पत्र वा आंशिक वा गलत सूचना देलाक तीन महिनाभितर क्षतिपूर्तिक माङ्ग दावीक निवेदन देबक चाही ।

सूचना माङ्ग' लेल पाइ (दस्तुर) लगैछै ?

सूचना माङ्ग करैत सूचना अधिकारीके निवेदन देब'लेल, कार्यालय प्रमुखके निवेदन दैत आ राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन करैतकाल निवेदन सँगे हुलाक टिकटधरि नहि साट' पडैछै। तहिना कोनो तरहके

पाइ (दस्तुर) नहि देब' पडैछै। मुदा सार्वजनिक निकायसँ सूचना प्राप्त करैतकाल दस्तुर देबाक कानूनी व्यवस्था अछि। ओकर व्यवस्था एहि तरहेँ अछि :

- सूचना माङग कएल निवेदन नि:शुल्क दर्ता क' दर्ता प्रमाण (निस्सा) देबक चाही/लेबक चाही।
- निवेदनमे हुलाक टिकट नहि साट' पडैछै आ निवेदनके लेल कोनो शुल्क सेहो नहि बुझाब' पडैछै।
- पहिल १० पृष्ठक सूचना नि:शुल्क प्राप्त होइत छै।
- ताहिके बाद A4 साइजके प्रतिपृष्ठ रु. ५/-, A3 साइजके १०/-, डिस्केट वा सिडीमे सूचना लेब' लेल प्रतिसिडी वा डिस्केटके लेल रु. ५०/- आ सूचनाक अध्ययन/अवलोकनक पहिल आधा घण्टा नि:शुल्क, ताहिके बाद प्रतिव्यक्ति एक घण्टाक रु. ५०/-दस्तुर देब' पडैछै।
- एहिके अतिरिक्त आन दस्तुरके हकमे लागल खर्चअनुरूप दस्तुर देब' पडैछै से कानूनी व्यवस्था छै। एहि विषयमे नागरिक सेहो जागरुक होबक चाही। कतेको सूचना माङगकर्ता नागरिक कानूनमे रहल एहन प्रावधान बुझिक' नि:शुल्क सूचना प्राप्त कएने अछि।

किछु सूचना लेब'लेल बाध्य नहि कएल जासकैया

संविधानक धारा २७ सूचनाक हकके व्यवस्था कएने अछि। आ ताहि अनुरुप सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन जारी भेल अछि। संविधानक धारा २८ गोपनीयताक हकके व्यवस्था कएने अछि। गोपनीयताके हकसम्बन्धी कानून जारी भेल विषय आमनागरिकके बुझल रहक चाही। सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमे सूचनाक हक आ गोपनीयताक हकके सन्तुलितढङ्गसँ उपयोग करबाक चाही। प्रस्तुत सन्दर्भमे सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनके दफा ३ मे पाँच प्रकारके सूचना प्रवाहमे सार्वजनिक निकाय बाध्य नहि हएत से व्यवस्था कएल गेल अछि।

मुदा, आमनागरिकके आवश्यक सूचना माङगक चाही। नागरिक जे सूचना मङगने अछि ओ सूचना कानूनमोताबिक देब जोगर छै कि नहि तकर जिम्मा सार्वजनिक निकायक पदाधिकारीके अछि। एहि विषयमे निर्णय करबाक अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगक अछि। जँ नागरिकद्वारा माङगल सूचना कानूनअनुसार देब'जोगर नहि छै त सूचना कानूनअनुसार कतेक समयधरि संरक्षण करबाक छै तकर वर्गीकरण कएल जानकारी देबाक दायित्व सार्वजनिक निकायक अछि।

तँ, पहिल बात ई जे आमनागरिकके अपनासँ सम्बधित व्यक्तिगत सरोकारके विषयके सूचना माङगक चाही। दोसर - सार्वजनिक

सरोकारके विषयमे सूचना माङिक' सार्वजनिक निकायके गलत काज नहि करबालेल खबरदारी करैत रहक चाही। वर्गीकरण कएल सूचना सेहो भेटए तकर माङगसहित नागरिक जँ सूचना आयोगमे पुनरावेदन करैत अछि त आयोग सूचना देल जाय से कहैत आदेश क' सकबाक व्यवस्था अछि।

सूचनाक वर्गीकरण की होइछै ?

- नेपाल सरकार सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनक दफा ३ क उपदफा (३) क प्रकरण (क) सँ (ङ) धरि रहल विषयके सूचना समावेश क' तेहन सूचना अधिकतम् ३० वर्षधरि संरक्षण क' क' राखि सकैया से कानूनी प्रावधान छै। एकरे सूचनाके वर्गीकरण कहैत छै।
- एहन सूचनाक वर्गीकरणक व्यवस्था सूचनाक हकसम्बन्धी ऐनके दफा २७ मे लिखल छै।
- वर्गीकरण समिति एखनधरि तीन बेर सूचनाक वर्गीकरण कएने अछि मुदा एहिके कार्यान्वयन नहि भ' सकल अछि। तैं, एखन सूचनाक वर्गीकरण नहि भेल अवस्था अछि।

व्यक्तिगत सरोकारक सूचना केहन होइछै ?

आमनागरिकके अपनासँ सरोकार भेल नितान्त व्यक्तिगत विषयमे सेहो सूचना माङ्ग'के र पाब'के संवैधानिक आ कानूनी व्यवस्था छै।

आब प्रश्न उठि सकैया जे व्यक्तिगत सरोकारके सूचना केहन होइछै ?

नितान्त अपनासँ सम्बन्धित सूचनाके संविधान आ कानुन व्यक्तिगत सूचना कहिक' परिभाषित कएने छै। उदाहरणके लेल किनको शैक्षिक योग्यताक प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अप्पन नाममे रहल जमिन, घर, सोन, चाँनी, जवाहर, बैंक खातामे वा घरेमे रहल नगद, स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अथवा कोनो सार्वजनिक निकायमे रहल एहन तथ्य, तथ्याङ्कसम्बन्धी जानकारी वा विवरणके व्यक्तिगत सरोकारक विषयके सूचना मानल जाइछ अछि। एहन विषयसँ सम्बन्धित विवरण, जानकारी वा सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा हुनक अनुमतिबिना आनके भेटए तेहन प्रावधान कानूनमे नहि छै। एहन सूचना असम्बन्धित व्यक्ति जे कियो माङ्गए, सम्बन्धित व्यक्ति वा हुनक अनुमतिबिना सार्वजनिक निकायके नहि देबक चाही। मुदा, अपनासँ सम्बन्धित विषयमे एहन सूचना अपनेसँ माङ्ग' वा प्राप्त कएल जासकैया।

सार्वजनिक सरोकारके सूचना केहन होइछै ?

सार्वजनिक निकायमे रहल सभक सरोकारके विषयके तथ्य, तथ्याङ्क, जानकारी वा विवरण सार्वजनिक सरोकारक सूचना होइत अछि। एहन विषयमे सब नेपाली नागरिक रुची राखिक' सूचना प्राप्त कर' सकैया। जेना राष्ट्रपति कार्यालयसँ वडा कार्यालयधरि, बाटघाट, पुल, नाली, पाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य सुरक्षा, संसद, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, तीनू तहके सरकार आ मातहतके निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सब राष्ट्रिय आ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थासहितमे रहल तमाम विषयके सम्बन्धमे कोनो सार्वजनिक निकायमे कियो नेपाली नागरिक सूचना माङिगक' प्राप्त क' सकैया।

सचेत नागरिकके कर्तव्य

आमनागरिकके नेपालक संविधान आ कानून सूचना माङग'के प्राप्त कर'के हक देने छै। ई हक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमे सेहो लिखल छै। नेपाल सेहो एहिके पक्ष राष्ट्र अछि।

तँ, व्यक्तिगत सरोकार आ सार्वजनिक कोनो विषयसँ सम्बन्धित सूचना माङग'के आ प्राप्त करबाक हकके अधिकतम् उपयोग करब प्रत्येक सचेत नागरिकके कर्तव्य अछि। सँगहि, सूचना मङगैत काल ई विषयसबके सेहो धियानमे राखक चाही :

- सूचना मङ्गैत काल सम्भव हुअए त सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमे स्वयम् उपस्थित भ' क', हुलाक, फ्याक्स वा ईमेलमार्फत् लिखित निवेदन दर्ता कराउ, निवेदनमे संविधान आ कानूनमे रहल अपन अधिकारक विषय लिखक चाही आ ताहिके दर्ता प्रमाण (निस्सा) लेबक चाही।
- मुदा, निरक्षर वा शारीरिकरुपसँ नहि लिख' सक' बला नागरिक मौखिरुपमे सेहो सूचना माङ्ग' सकैया।
- एहन सूचना माङ्गल निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमे अपने उपस्थित भ' क', वारिशसँ, हुलाक वा कुरियरसँ, फ्याक्स, ईमेलसहितके उपलब्ध माध्यमसँ पठाब' सकैछी। मुदा सूचना अधिकारीके निवेदन प्राप्त भेलै तकर प्रमाण लेबक चाही।
- सूचना माङ्ग'के उचित प्रयोजन खुलाबक चाही। एहिके लेल निवेदनकर्ताके आवश्यक सरोकारके विषय, सार्वजनिक रुचीके जनतब, भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता नियन्त्रण करबाक विषयमे सूचना माङ्गक चाही। निवेदनमे कोन विषयमे की सूचना मङ्गने छी से लिखक चाही।
- सार्वजनिक निकायसँ प्राप्त सूचनाके नागरिकके दुरुपयोग नहि करबाक चाही। कानूनमे सूचनाक दुरुपयोग केनिहारके पाँच हजारसँ पच्चीस हजारधरि जरिवाना हेबाक व्यवस्था अछि।
- कोनो निकायमे पहिने त सूचना अधिकारीके सम्बोधन क' सूचना माङ्गक चाही। सूचना अधिकारी नहि रहल अवस्था जँ छै तैयो सूचना अधिकारीएके सम्बोधन क' क' सूचना माङ्ग करैत निवेदन

दर्ता कराबक चाही। हुलाक, फ्याक्स वा ईमेलसँ सूचना माङ्गल गेल अछि त सूचना अधिकारीके सम्बोधन क' निवेदन पठाबक चाही। निवेदनमे सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख कहिक' सम्बोधन करक चाही।

- सूचना मङ्गैत काल माङ्गकर्ता नेपाली नागरिक छै तकर प्रमाण भेल कागज पेश करबाक चाही।
- सूचनाक प्रतिलिपि माङ्गके अछि वा सूचना अध्ययन/अवलोकन करबाक अछि ? स्पष्ट होयबाक चाही।
- माङ्ग कएल विषयके सूचना दोसर कार्यालयमे रहल कहिक' सूचना अधिकारी पत्र देलापर सूचना अधिकारी जे कार्यालयके नाम कहने अछि ओ कार्यालयमे प्रक्रिया पूराक' क' सूचना माङ्गक चाही।
- सूचना लेब'लेल कानूनअनुसारके दस्तुर बुझाब'लेल सहमत होबक चाही।
- सूचना अधिकारी सूचना नहि देने, आंशिक वा अधखिज्जु वा गलत सूचना देने वा कोनो जानकारी नहि देलाक १५ दिन बादके सप्ताह दिनभितर वएह कार्यालयके प्रमुखसमक्ष निवेदन देबक चाही।
- कार्यालय प्रमुख सेहो सूचना नहि देलापर पैंतीस दिनभितर राष्ट्रिय सूचना आयोगमे पुनरावेदन देबक चाही।

- सम्भव भेलापर, सूचना वर्गीकरण क' संरक्षण कएल सूचना कत्तेक वर्षक लेल संरक्षण कएल गेल छै से बुझिक' सूचना माङग करबाक चाही।
- सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ क दफा २८ अनुसार व्यक्तिगत प्रकृतिके सूचना तत् कार्यालय संरक्षण क' राखि सकैया। ओहन प्रकृतिक सूचना माङग'सँ पहिने सूचना माङग'के प्रयोजन निश्चित करबाक चाही।
- सूचना नहि देनिहार पदाधिकारीविरुद्ध दण्डक लेल राष्ट्रिय सूचना आयोगमे प्रमाणसहित निवेदन देबक चाही।
- मुदा, असल नियतसँ कएल काजमे सजाय नहि होइत छै तेँ विवेक प्रयोग करबाक चाही।
- ऐनके दफा ३० अनुसार कानूनी व्यक्ति सेहो दफा ७ (१) आ ९ (१) अनुसार प्रक्रिया पूराक' क' सूचना माङग' सकैया। जँ सूचना प्राप्त नहि भेलै त दफा १० (१) अनुसार आयोगमे पुनरावेदन क' सूचना प्राप्त क' सकैया।
- कोनो सार्वजनिक निकायमे गलत सूचना अभिलेखबद्ध भेल जानकारी भेलापर ओ सूचना सुधारिक' राख'लेल निवेदन देबक चाही।
- आमनागरिकले अप्पन वा सार्वजनिक सरोकारके विषयके सूचना माङिगक' गलत क्रियाकलाप रोक' आ सामाजिक रुपान्तरणके लेल काज करबाक चाही।

- मुदा, ककरो दु:ख देबके नियतसँ सूचना नहि माङगक चाही। ई विषय कानूनमे त नहि लिखल छै तैयो एहन विषयमे आमनागरिकके स्वयम् जिम्मेवार होबक चाही।
- सूचनाके हकके विश्वमे पारदर्शिताक लेल अचुक औजार मानल जाइत छै। सूचना माङगकर्ताके सेहो अपन प्रयोजनके पारदर्शिता आ सदाचारिता प्रकट करब नागरिकके कर्तव्य छै से नहि बिसरक चाही।
- सूचना देब'के आ लेब'के संस्कृतिके विकास करु। लोकतन्त्रक आधार : सूचनाक अधिकारके सबगोटे मन, वचन आ कर्मसँ कार्यान्वयन करु।

सूचना माङ्गकलेल निवेदनके नमुना

(कानूनमे निवेदनके नमुना नहि देल गेल छै, ई नमुना केवल सहजताक लेल छै ।)

श्री सूचना अधिकारीजी,

.....। (सार्वजनिक निकायक नाम आ पता)

विषय : सूचना पेवाक सम्बन्धमे।

उपरोक्त विषयमे हम/हमसब एहि कार्यालयमे रहल हमर/हमरसबहक सार्वजनिक सरोकारके तपसिलके सूचना..... प्रयोजनकबास्ते आवश्यक भेलाक कारणे नेपालक संविधानक धारा २७ तथा सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ क दफा ७ क उपदफा (१) अनुसार ई निवेदन पेश कएने छी ।

तपसिल

१.....

२.....

संलग्न कागज

नेपाली नागरिक भेल प्रमाणक कागजक प्रतिलिपी

निवेदक

नाम :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् .....साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम् ।

कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश कर'बला निवेदनके नमुना

(कानूनमे निवेदनके नमुना नहि देल गेल छै, ई नमुना केवल सहजताक लेल छै।)

श्री कार्यालय प्रमुखजी,

.....। (कार्यालयक नाम, पता)

विषय: सूचना उपलब्ध नहि करेनिहार/सूचना देब'सँअस्वीकार केनिहार/आंशिकरुपमे सूचना देनिहार/गलत सूचना देनिहार सूचना अधिकारीके कारवाही क' सूचना देबाक सम्बन्धमे।

उपरोक्त विषयमे हम/हमसब एहि कार्यालयके सूचना अधिकारीके सम्बोधन क' मिति .....मे अप्पन/हमरसबहक सार्वजनिक सरोकारके तपसिलके सूचना माङग कएने रही। सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ क दफा ७ के उपदफा (२) मे लिखल अवधिभितर सूचना उपलब्ध नहि करेनिहार/सूचना देब'सँ अस्वीकार केनिहार/आंशिकरुपमे सूचना देनिहार/गलत सूचना देनिहार सूचना अधिकारीके कारवाही करबाक लेल सूचनाक हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ क दफा ९ के उपदफा (१) अनुसार ई निवेदन पेश कएने छी। अत: सूचना उपलब्ध नहि करेनिहार/सूचना देब'सँ अस्वीकार केनिहार/आंशिकरुपमे सूचना देनिहार/गलत सूचना देनिहार सूचना अधिकारीके कारवाही क' दफा ९ के उपदफा (३) अनुसार कारवाही क' उपदफा (२) अनुसार सूचना उपलब्ध करा देबाक लेल ई निवेदन पेश कएने छी ।

तपसिल

१.....

२.....

निवेदक :

नाम :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् .....साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम्।

(श्री राष्ट्रिय सूचना आयोगमे देल जायबला पुनरावेदनके नमुना)

मार्फत्..... कार्यालय

.....।

..... निवेदक

विरुद्ध

..... विपक्षी

विषय : माङ्गल सूचना उपलब्ध करेबाक सम्बन्धमे।

.....निकायक प्रमुख श्री ..... मिति.....मे हमरा/हमरासबके.....विषयके सूचना नहि देब'के मिल्तै से निर्णय कएलाक कारण निम्न कारण आ आधारसँ हमरा/हमरासबके ई निर्णयमे चित्त नहि बुझल, तँ ऐनके म्याद पैंतीस दिनभितर दफा १० (१) बमोजिम ई पुनरावेदन कएने छी।

(क) .....

(ख) ..... उपर लिखल विषय सत्य छै, जँ झुठ साबित हएत त कानूनअनुसार भागी हएब।

संलग्न कागज

(क) सार्वजनिक निकायक प्रमुखक निर्णयक प्रतिलिपि

(ख) सूचना अधिकारीसमक्ष पेश कएल निवेदनक प्रतिलिपि

(ग) नेपाली नागरिक भेल प्रमाणक प्रतिलिपि

पुनरावेदकके दस्तखत :

नाम :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् .....साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम्।

/rtinepal

/suchanaayog